

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

परियोजना का नाम : परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के किमी 0.8 से रा0इ0का0 पैतौली, राजकीय उद्यान विभाग पैतौली होते हुये स्थान पैतौली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.471 हे0 सिविल, कुल 1.471 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हितडुंग्री.....

.....सिविल.....स्थल वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी
विश्वजी पिण्डार राजि
नारायणगढ़

प्रभागीय वन विभाग संरक्षक
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु सिविल भूमि का निरीक्षण आख्या

परियोजना का नाम :- परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के किमी 0.8 से रा0इ0का0 पैंतोली, राजकीय उद्यान विभाग पैतौली होते हुये स्थान पैंतोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.471 हे0 सिविल, कुल 1.471 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रमुख सचिव उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनु0 के शासनादेश सं0 883 (1)/10-3-2011-8 (21)/2010 दिनांक 4/10/2011 के अनुसार परखाल-डुंग्री मोटर मार्ग के किमी 0.8 से रा0इ0का0 पैंतोली, राजकीय उद्यान विभाग पैतौली होते हुये स्थान पैंतोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित की गई समस्त वन भूमि 1.253 हे0 एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.308 हे0 को सम्मलित करते हुए कुल 1.471 हे0 वन भूमि का तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या दिनांक 29/06/18 द्वारा निम्न क्षेत्र प्रस्तावित किये गये है।

1.471 हे0 वन भूमि के एक्ज में दुगने क्षेत्रफल में पैंतोली, खा0सं0 102 ख0नं0 4484, 1.134 हे0, खा0सं0 102 ख0नं0 4484 म0 0.200 हे0, खा0सं0 102 ख0नं0 4488, 1.608 हे0 कुल 2.942 हे0 भूमि सरकारी अभिलेखों में वन के रूप में दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्तावित दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उक्त स्थलों की भूमि वन विभाग के हक में संस्तुति की जाती है।

खण्डीय अमीन

कनिष्ठ अभियन्ता

सहायक अभियन्ता

अधिसूची अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0 निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
थराली (चमोली) थराली (चमोली)

राजस्व उपनिरीक्षक

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र तहसील
जिला-चमोली, उत्तराखण्ड

तहसीलदार
तहसीलदार
थराली

उपनिरीक्षक
थराली

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
चमोली